न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/390

1. बद्रीलाल आयु 62 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री भंवर लाल जाति महाजन निवासी ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी बाहरली बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती कैलाशी बाई उर्फ धनवती आयु 65 वर्ष विधवा श्री बद्रीलाल ।
   1/2. दिनेश आयु 41 वर्ष ।
   1/3. बालकिशन आयु 31 वर्ष पिसरान स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जातियान महाजन निवासीयान आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सजना पत्नी श्री हीरालाल आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. दुर्गा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा।
   1/2. सुवा आयु 29 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा ।
   1/3. राजी बाई आयु 26 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा ।
   1/4. रामकुंवार आयु 20 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा।
   1/5. मनभर बाई आयु 18 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. हीरालाल आत्मज श्री रामदेव जाति माली निवासी आकोदा तहसील हिण्डोली ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 15/469

1. बद्रीलाल आयु 62 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री भंवर लाल जाति महाजन निवासी ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी बाहरली बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती कैलाशी बाई उर्फ धनवती आयु 65 वर्ष विधवा श्री बद्रीलाल ।
   1/2. दिनेश आयु 41 वर्ष ।
   1/3. बालकिशन आयु 31 वर्ष पिसरान स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जातियान महाजन निवासीयान आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सजना पत्नी श्री हीरालाल आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. दुर्गा बाई आयु 35 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा।
   1/2. सुवा आयु 29 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा ।
   1/3. राजी बाई आयु 26 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा ।
   1/4. रामकुंवार आयु 20 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा।
   1/5. मनभर बाई आयु 18 वर्ष पुत्री श्री हीरालाल जाति माली निवासी आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. हीरालाल आत्मज श्री रामदेव जाति माली निवासी आकोदा तहसील हिण्डोली ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द नामधाराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकारान होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। दोनों अपीलों में निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 वाद संख्या 49/2008 एवं इसी प्रकार एक अन्य वाद श्रीमती सज्जना बनाम बद्रीलाल वाद संख्या 55/2008 ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 386 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 415 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 418 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 420 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 421 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित करते हुए प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2015 के द्वारा वाद संख्या 55/2008 को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में सज्जना देवी को 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते

अन्य प्रतिवादीगण को 1/4 हिस्से का घोषित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट बद्रीलाल ने न्यायालय हाजा में दो अलग–अलग अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर उन पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि में चल रही थी । तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुए बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने से पूर्व पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये अर्थात् पक्षकारान की सहमति ली गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 वाद संख्या 49/2008 एवं इसी प्रकार एक अन्य वाद श्रीमती सज्जना बनाम बद्रीलाल वाद संख्या 55/2008 ग्राम आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये थे । प्रस्तुत दोनों वादों को अधीनस्थ न्यायालय ने समेकित करते हुए राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और राजीनामा के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं है और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2015 निरस्त किया जाता प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा